मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2017 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 6 मार्च, 2017 (फाल्गुन 15, 1938)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार -

(क) वित्तीय वर्ष 2015-2016 की द्वितीय छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण, तथा

(ख) वित्तीय वर्ष 2016-2017 की प्रथम छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री -

(क) चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 9 सन् 1991) की धारा 36 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जिला-सतना मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016,

(ख) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार –

(i) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016,

(ii) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016, तथा

(iii) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 44 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, मंदसौर जिले में आपराधिक घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, मालवा क्षेत्र में गेहूं के उपार्जन केन्द्र न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति, याचिका समिति का बयालीसवां एवं तैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) पं. रमेश दुबे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले की तहसील बिछुआ में सिविल न्यायालय प्रारंभ किये जाने,

(2) श्री चम्पालाल देवड़ा, सदस्य, देवास जिले के उदयनगर में महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने,

(3) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर जिले के ग्राम पालड़ा में आव नदी पर स्टापडेम का निर्माण किये जाने,

(4) श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य, धार जिले के -

(क) ग्राम नालछा में कन्या हाईस्कूल को कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने, तथा

(ख) ग्राम कछवानिया के शासकीय माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(5) श्री लखन पटेल, सदस्य, दमोह जिले के -

(क) ग्राम नरसिंहगढ़ में ग्रामीण खेल स्टेडियम स्वीकृत किये जाने तथा

(ख) ग्राम नरसिंहगढ़ में शासकीय हायर सेकेन्ड्री स्कूल स्वीकृत किये जाने,

(6) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम आखेटपुर पिपरी टोला तक रोड बनाये जाने,

(7) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम खजूरी में एक नवीन हैण्डपम्प खनन किये जाने,

(8) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम धमना से सगौनी तक सड़क निर्माण किये जाने,

(9) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम मनकवार से गगनवारा चिरचिरा तक पक्की सड़क का निर्माण किये जाने,

(10) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले के ग्राम बड़ौद से ग्राम बेहड़ावेह तक सड़क बनाये जाने,

(11) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम कुडीला एवं लारौन में हाई स्कूल का भवन बनाये जाने,

(12) कुं. विक्रम सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम बगमऊ के जानकी मंदिर का जीर्णोद्धार किये जाने,

(13) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम झिरन्या में कन्या महाविद्यालय खोले जाने,

(14) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के सेगांव में प्राचीन लालबाई, फूलबाई माता मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने,

(15) श्री प्रताप सिंह, सदस्य, दमोह जिले के तेंदूखेड़ा विकास खण्ड में सीबी.एस.ई. केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत कराये जाने,
(16) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले उदासीन मोहल्ला में अनुसूचित जाति के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण किये जाने,
(17) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, सदस्य, गुना जिले के लक्ष्मीपुरा के नाले पर एनीकट का निर्माण किये जाने,
(18) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम तालोड़ी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(19) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम खजुरिया के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(20) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम बोलखेड़ा नाऊ में 33/11 के.व्ही. की नवीन विद्युत ग्रिड स्थापित किये जाने,
(21) कुंवर हजारीलाल दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम सादलपुर, पीपल्याकला एवं चितावल्या में सड़क का निर्माण किये जाने,
(22) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम आवनी जवासा में नवीन 33/11 विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत किये जाने,
(23) श्री रामलाल रौतेल, सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम मझगवां के शासकीय माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(24) श्री मेहरबान सिंह रावत, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम जोंसिल से वातेड़ तक पक्की सड़क निर्माण किये जाने,
(25) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य, मन्दसौर जिले के ग्राम कुराबन में हाई स्कूल भवन एवं हायर सेकेण्ड्री भवन का निर्माण किये जाने,
(26) श्री अनिल जैन, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम तरीचरकला से रावली तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(27) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम बिजौरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर एवं स्टाफ की पदस्थापना किये जाने,
(28) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम भौदा एवं कटंगी की देव नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
(29) श्री वीरसिंह पंवार, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम मोहम्मद नगर से बरेज तक रोड का निर्माण किये जाने,
(30) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम लखनपुर के शासकीय माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन कर निर्माण किये जाने,
(31) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम खड़पुरा के गंसिरा नाले पर नवीन तालाब बनाये जाने,
(32) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम खड़ेहा एवं टेढ़ीकबरी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(33) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सीधी जिले के ग्राम सेमरिया देवगढ़-माटा एवं खांम-डोल मार्गो का पुनर्निर्माण किये जाने,
(34) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम सुनवानी की नदी पर घाट निर्माण कराये जाने,
(35) श्री अरूण भीमावद, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम पंचायत छापीहेड़ा में पालाघाटा के पास वाले नाले पर स्टापडेम का निर्माण किये जाने,
(36) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम मढ़ी को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने,
(37) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम मुहाल कलां में हाई स्कूल खोले जाने,
(38) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य, सिंगरौली जिले के वगदरा क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,
(39) श्री के.के. श्रीवास्तव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले की नगर पंचायत कारी के हाई स्कूल का इन्टर कालेज में उन्नयन किये जाने,
(40) श्री अमर सिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम करेड़ी सहित अन्य तहसीलों के हायर सेकेण्ड्री स्कूलों का भवन का निर्माण किये जाने,
(41) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले के रामघाट से दक्षिण तट तक ओवर ब्रिज का निर्माण किये जाने,
(42) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम काड़ाखेड़ी में नलकूप खनन किये जाने,
(43) श्री संजय उइके, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम जैतपुरी से कोमलीखापा तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(44) श्रीमती ऊषा चौधरी, सदस्य, सतना जिले के ग्राम धौरहरा में शासकीय कन्या हायर सेकेण्ड्री विद्यालय खोले जाने,
(45) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम बूदौर की माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(46) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम जड़कुड़ में अदवा नदी पर पुल का निर्माण किये जाने,
(47) श्री कुंवर सिंह टेकाम, सदस्य, सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत निगरी में हैण्डपंप खनन किये जाने,
(48) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम बनवारी से गाडरवारा सांईखेड़ा तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(49) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम खिटोरा में शासकीय हाई स्कूल खोले जाने,
(50) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम बादाखेड़ी से महादेव मंदिर तक सड़क निर्माण किये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1), 223-क के उपनियम (1) तथा 234-ढ़ के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए क्रमश : लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन.

श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2017-2018 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश: चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के हों) अग्रसर हों.".

8. वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा .... (क्रमशः).

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 5 मार्च, 2017